

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

रावलराम पुत्र पाबुराम




बनाम

जसाराम पुत्र पाबुराम वगैरह


किस्म मुकदमा 212 राज का. अधि 1955

मुकदमा नम्बर 243/19

सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
4.10.2019	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलग्न राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 से 17 को आगामी पेशी तारीख 28.11.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निशेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निशेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मोजा डेरिया पटवार हल्का डेरिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 346 रकबा 52.17 बीघा, खसरा नम्बर 351 रकबा 14.14 बीघा, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.03 बीघा भूमि में अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण एक दूसरे के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नही करे तथा न ही भूमि का विशिष्ट भू-भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य करें तथा प्रार्थी के आने-जाने का रास्ता अवरुद्ध नही करें। आगामी पेशी तक राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें।</p> <p>पत्रावली दिनांक 28.11.2019 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बालेसर</p>	
19	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा 340 प्रार्थी अधि 512 के अ. अ. 0 की अस्थाई पत्रावली की तामिल निकाल दी। स्थगन अधिवक्ता आगामी पेशी तक रखा जाय। 28/11/20 को पेशी होगी।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा 340 प्रार्थी अधि 512 के अ. अ. 0 की अस्थाई पत्रावली की तामिल निकाल दी। स्थगन अधिवक्ता आगामी पेशी तक रखा जाय। 28/11/20 को पेशी होगी।</p> <p style="text-align: center;"></p>	

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पेशी पर बहस सूनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओं पर पत्रावली का अवलोकन किया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम दृष्टतया मामला :- राजस्व रेकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के पक्ष में सिद्ध होता है। 2. सुविधा का संतुलन :- प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकॉर्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। 3. अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्ध करना है परन्तु राजस्व रेकॉर्ड के अवलोकन से यह सिद्ध होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि की मौका एवं राजस्व रेकॉर्ड में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है। <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओं के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा डेरिया के खसरा नम्बर 346, 351, 350 की भूमि के राजस्व रेकॉर्ड पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	